

प्रेषक,

अनीता सिंह,
सचिव,
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग -2

लखनऊः दिनांक ०९ मार्च 2010

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का प्रकटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पूरे भारत में (जम्मू कश्मीर को छोड़कर) 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत ऐसे कई आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। जिनमें कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (A.C.R.) की प्रतियाँ प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रकटन से सम्बन्धित मामले में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/20/2006 आई०आर०, दिनांक 21 सितम्बर, 2007 द्वारा निम्न निर्देश दिये गये हैं:-

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (1) के खण्ड (ज) में यह व्यवस्था है कि किसी भी नागरिक को ऐसी जानकारी प्रदान करने की कोई बाध्यता नहीं है जो व्यक्तिगत जानकारी से सम्बन्धित हो और उसके प्रकटन का किसी सार्वजनिक कार्य कलाप अथवा हित से कोई सम्बन्ध नहीं हो, अथवा जो व्यक्ति की गोपनीयता को अवांछित रूप से भंग करें, बशर्ते जन सूचना अधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी जो भी स्थिति हो, इस बात से संतुष्ट हो कि व्यापक जनहित ऐसी सूचना के प्रकटन को न्यायोचित ठहराता है। किसी भी ए.सी.आर. में रिपोर्ट किए गए अधिकारी के चरित्र, क्षमता और अन्य गुणों से सम्बन्धित जानकारी होती है जिसके किसी अन्य व्यक्ति को प्रकटन से व्यक्ति की गोपनीयता पर अवांछित हमला होता है। अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (2) के द्वारा लोक प्राधिकारी को यह विशेषाधिकार दिया गया है कि वह किसी अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का प्रकटन सम्बद्ध अधिकारी को अथवा किसी अन्य आवेदक को करे अथवा न करे।

लोक प्राधिकारी किसी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उसी कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि वार्षिक गोपनीय

रिपोर्ट सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (1) के खण्ड (ज) द्वारा संरक्षित है और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट एक गोपनीय दस्तावेज है जिसके प्रकटन को कार्यालय गोपनीय अधिनियम, 1923 द्वारा संरक्षित किया गया है। किसी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रकटन में जनहित संरक्षित हित से अधिक महत्वपूर्ण है तो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रकटन का निर्णय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से लिया जाना चाहिए। इस मामले में सक्षम प्राधिकारी का चयन सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

कृपया उक्त विवरण को अपने अधीनस्थ समस्त, लोक प्राधिकरणों के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

भवदीया,



(अनीता सिंह)

सचिव।